न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 10 / 2018 / जैसलमेर

अपीलांट

मुसे खां पुत्र साकर खां
जाति मुसलामन, निवासी
रूपसर बलाड़ तहसील भणियाणा,
जिला–जैसलमेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.आडत खान पुत्र मीर मोहम्मद
2.करीमत पत्नी मीर मोहम्मद
3.खमे खा पुत्र मीर खान
4.हसण खान पुत्र मीर खान
5.हनीफ खान पुत्र मीर खान
जाति–मुसलमान, निवासी
रूपसर बलाड़ तहसील
भणियाणा, जिला–जैसलमेर।
6.अलसेर खा पुत्र मुबारक खा
जाति–मुसलमान, निवासी
केसुम्बल पाना तहसील भणियाणा
जिला जैसलमेर।
7.श्रीमान शाखा प्रबन्धक भारतीय
स्टेट बैक शाखा फलसुण्ड।
8.श्रीमान शाखा प्रबन्धक आर0एम0
जी0बी0 शाखा भीखोडाई
तहसील भणियाणा।
9.श्रीमान तहसीलदार भणियाणा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भणियाणा राजस्व वाद सं. 46 / 2015 बअनवान आद्दत खां वगै. बनाम मुसे खा वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.05.2018।

उपस्थित

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 03 की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 19.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व अन्य उतरदातागण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 252 रकबा 309.10 बीघा मौजा रूपसर पटवार हलका बलाड़ तहसील भणियाणा में आई हुई है। उतरदाता संख्या 1 से 4 ने उक्त भूमि बाबत एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की उपस्थिति के अभाव में एकपक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अनरूप पूर्ण सुनवाई व अपना पक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रखने का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया। तहसीलदार भणियाणा द्वारा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पूर्ण पालना न कर अधीनस्थ न्यायालय में मौका रिपोर्ट पेश की गई। जो सही नहीं है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की आपति पर तहसीलदार भणियाणा को निर्देश प्रदान किये कि वह वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना कर पक्षकारान को सूचित कर व पक्षकारान की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 252 रकबा 309.10 बीघा मौजा रूपसर का विभाजन पुनः तैयार करे। लेकिन न्यायालय के आदेश के बावजूद भी तो द्वितीय विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार भणियाणा द्वारा दिनांक 20.04.2018 को विभाजन प्रस्ताव और द्वितीय मौका रिपोर्ट प्रेषित की उसमें नियम 18 से 21 की पालना नही की ओर न ही अपीलांट की कोई सूचना दी। अपीलांट का जो कब्जा काश्त वास्तविक रूप से था उससे भिन्न अपीलांट का कब्जा काश्त दर्शाते हुए अधीनस्थ न्यायालय में पेश रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है जो कि कतई उचित नहीं है। तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। दिनांक 16.04.2018 व 18.04.2018 प्राप्त विभाजन प्रस्ताव नक्शे व कब्जा काश्त में अंतर है। तारीखों में हेरफेर है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन By Metes & Bounds नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब किये गये विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट ने आपति जाहिर की जिसके आधार पर द्वितीय विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जिस पर अपीलांट ने जानबूझकर प्रकरण को लंबा करने की निहत से विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किये। मौके व कब्जे के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है। और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। अपीलांट के वकील ने मियाद के बिंदु पर बहस करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.05.2018 की अपीलांट को जानकारी नही हो पाई थी उक्त निर्णय व डिक्री अपीलांट व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में कैम्प कोर्ट बलाड में पारित की गई है। जिसकी जानकारी अर्सा 5–7 दिन पूर्व सभी उतरदातागण ने अपीलांट के कब्जा काश्त में दखलदांजी व हस्तक्षेप करने का प्रयास किया ओर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता के मार्फत आलोच्य निर्णय डिक्री की प्रमाणित प्रति मांगी तो जो अपीलांट को दिनांक 30.07.2018 को आलोच्य निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई तथा जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपील को पेश करने में सद्भाविक रूप से हुए विलंब को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस ने अपील पेश करने में हुए विलंब का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित होगा। अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ है कि प्रकरण में जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.04.2017 की पालना में तहसीलदार भणियाणा द्वारा विभाजन प्रस्ताव दो पृथक–पृथक पत्रों से अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। प्रथम विभाजन प्रस्ताव उनके पत्रांक 332 दिनांक 17.04.2018 से पेश किया जिसके संलग्न मौका फर्द मय विभाजन नक्शा दिनांक 16.04.2018 है। दूसरा विभाजन प्रस्ताव उनके पत्रांक 367 दिनांक 20.04.2018 से पेश किया गया जिसके संलग्न मौका फर्द दिनांक 16.04.2019 है पर विभाजन नक्शा (दो प्रति में) तहसीलदार भणियाणा के हस्ताक्षरों से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

18.04.2018 संलग्न प्रस्ताव किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 82 पर है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिकाओं का अवलोकन किया। दिनांक 20.04.2018 को पत्रावली लोक अदालत अभियान 2018 न्याय आपके द्वार में आपसी सहमति से कैम्प बलाड़ में 04.5.2018 को रखी गई और उस रोज मज्मे आम में सरपंच ग्राम पंचायत बलाड़ एवं मौजीज लोगों की उपस्थिति में प्रकरण की सुनवाई हुई। तीन पक्षों में से 2 पक्षों ने प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की। केवल अपीलांट (प्रतिवादी संख्या 1) बावजूद सूचना अनुपस्थित था। और पत्रावली पर पृष्ठ 41 पर उपलब्ध मौका फर्द (दिनांक 01.06. 2017) से स्पष्ट होता है कि इसमें विभाजन नक्शे से भी अपीलांट मूसेखां असहमत था। अपीलांट मूसेखां बार–बार प्रस्तावित विभाजन प्रस्तावों से असहमति जता रहा था जबकि अन्य पक्षकार सहमत थे। लिहाजा विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाए जाने के आदेश दिए गए। ऐसी स्थिति में मज्मे–आम एवं लोक अदालत कैम्प में बाद विचारण प्रस्तुत किये गए विभाजन प्रस्ताव को (दिनांक 18.04.2018)स्वीकार कर निर्णय पारित किया गया है। इस निर्णय में किसी भी प्रकार की अवैधानिकता इंगित नहीं होती है। सभी पक्षों को सहमत कर पाना संभव भी नहीं है। हस्तगत अपील में निर्णय से एकमात्र अपीलार्थी मूसेखां को छोड़कर शेष सभी पक्ष सहमत एवं संतुष्ट है। मूसेखां की अनुपस्थिति बावजूद सूचना होने से निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के परीक्षण पर भी खरा उतरता है। अपीलाधीन निर्णय उचित, सद्भावी एवं ग्रहणयोग्य है जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट उल्लेखित है। लिहाजा इन तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करना उचित होगा।

अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा के राजस्व वाद संख्या 46/2015 बनवान भाड़त खां वगै. बनाम मुसे खां वगै. में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2018 को यथावत रखा जाता है।

19/2/19

(नरेन्द्र दान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner